न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर जिला अजमेर,

रसद प्रार्थना पत्र संख्या 01/2024

राजस्थान सरकार जरिये श्री नीरज कुमार जैन प्रवर्तन अधिकारी ....**प्रार्थी**

बनाम

1. श्री जहीरूद्दीन खिलजी पुत्र कुतुबुद्दीन खिलजी
   निवासी फॉयसागर चौकी के सामने वाली गली, दिवान का भट्टा, अजमेर
2. श्री गोविन्द भाट पुत्र श्री लक्ष्मण भाट, निवासी रतनपुरा तहसील मसूदा
3. श्री संजय भाट पुत्र सांवर भाट, निवासी श्रीनगर, अजमेर

.........**अप्रार्थी**

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955

उपस्थित ;... 1. श्री नीरज जैन प्रर्वतन अधिकारी — पैरोकार सरकार
2. श्री जहीरूद्दीन खिलजी — अप्रार्थी 01

आदेश दिनांक 22.05.2024

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 13.01.2024 को गैस रिफिलिंग की शिकायत पर नीरज कुमार जैन, प्रवर्तन अधिकारी, हमराह श्री हेमन्त कुमार आर्य, प्रवर्तन अधिकारी, श्री योगेश कुमार मिश्रा, प्रवर्तन निरीक्षक श्री अंकुश अग्रवाल प्रवर्तन निरीक्षक सहित संयुक्त जांच दल श्री जहीरूद्दीन खिलजी उर्फ सलीम पुत्र कुतुबुद्दीन खिलजी, के निवास स्थान फॉयसागर चौकी के सामने वाली गली, दीवान का भट्टा अजमेर पहुँचे। मौके पर मकान के पीछे खुले स्थान (बाडा) में दो वाहन मारूति इको एवं मारूति वैन में घरेलू गैस सिलेण्डर के जरिये इलेक्ट्रिक रिफिलिंग मशीन से गैस रिफिलिंग की जा रही थी। मौके पर मारूति वैन गोल्डन कलर आर.जे. 14 यू ए में गाडी के पिछले हिस्से में फिटेड गैस किट में एक लाल रंग के पाईप, जो रिफिलिंग मशीन से जुडा था, के जरिये घरेलू सिलेण्डर (14.02 किग्रा) लगाकर रिफिलिंग की जा रही थी। रिफिलिंग मशीन इलेक्ट्रिक तार से विद्युत कनेक्शन में जुडी थी तथा मशीन चालू थी। जिससे घरेलू गैस सिलेण्डर ए.आर.नम्बर टी 467177 के जरिये इस वाहन में एलपीजी गैस स्थानान्तरित की जा रही थी। इस मारूति वैन का ड्राईवर गोविन्द भाट पुत्र श्री लक्ष्मण भाट, निवासी रतनपुरा तहसील मसूदा का होना बताया। मौके पर खडी दुसरी गाडी वाहन मारूति इको, ग्रे कलर, रजि0 नं0 आर.जे.01 सीई 5985 में भी गाडी के पिछले हिस्से में लगे गैस किट में ठीक उसी प्रकार से दूसरी अवैध गैस रिफिलिंग मशीन से इलेक्ट्रिक तार से जुडी घरेलू लाल गैस सिलेण्डर से मारूति इको में गैस भरी जा रही थी। इस वाहन में उपयोग लिये जा रहे सिलेण्डर के एस.आर नम्बर 854385 कम्पनी बीपीसीएल जिसका Gross Weight 16.5 kg, Tear Weigth 15.5 Kg है। मानव जीवन के लिए अत्यन्त घातक श्री जहीरूद्दीन का यह कृत्य आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के प्रावधानो तथा एलपीजी आदेश 2000 की शर्तो का स्पष्ट उल्लंघन है। उक्त दोनो वाहन मारूति इको, ग्रे कलर, रजि0 नम्बर आर.जे. 01 सीई 5985, मारूति वैन गोल्डन कलर

जिला कलक्टर
अजमेर

आर.जे 14 यूए 0613 दो इलेक्ट्रिक गैस रिफिलिंग मशीन, 39 गैस सिलेण्डर एवं 500 प्लास्टिक कैप को राजहित में प्रवर्तन अधिकारी द्वारा कब्जे राज लिया गया। दोनो वाहन पुलिस थाना, गंज अजमेर को अग्रिम आदेश तक यथावत एवं सुरक्षित रखने के लिए सुपुर्द्ध किये गये। जब्तशुदा 39 सिलेण्डर, 500 कैप, दोनो रिफिलिंग मशीन अग्रिम आदेश तक यथावत एवं सुरक्षित रखने हेतु ख्वाजा गैस सर्विस, अजमेर के कार्मिक श्री प्रकाश चन्द खैतावत पुत्र श्री पूरणचन्द खैतावत, निवासी डिग्गी बाजार, रैगरो का मौहल्ला, खेतावत चौक, अजमेर को सुपुर्द्ध किये गये। अतः श्री जहीरूद्दीन का यह कृत्य एलपीजी आर्ड 2000 के प्रावधानो क्लॉस 3 (1)(a)(C)(d)(e) 3.3)(a)(b)(c) 4.1 (a)(b)(c) (e) का स्पष्ट उल्लंघन है जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दंडनीय अपराध है। अतः उक्त जब्तशुदा 39 गैस सिलेण्डर,एवं दो इलेक्ट्रिक गैस रिफिलिंग मशीन तथा लगभग 500 प्लास्टिक कैप को राजसात किये जाने हेतु यह प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया। प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर अप्रार्थी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी 02 नोटिस तामिल वाबजूद गैर हाजिर। अप्रार्थी 01 व 03 ने उपस्थित होकर जवाब नोटिस प्रस्तुत कर सीधे ही बहस करने का निवेदन करने पर उभय पक्षो को सुना गया।

पैरोकार सरकार ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौराते हुए प्रकट किया कि दिनांक 13.01.2024 को गैस रिफिलिंग की शिकायत पर नीरज कुमार जैन, प्रवर्तन अधिकारी, हमराह श्री हेमन्त कुमार आर्य, प्रवर्तन अधिकारी, श्री योगेश कुमार मिश्रा, प्रवर्तन निरीक्षक श्री अंकुश अग्रवाल, प्रवर्तन निरीक्षक सहित संयुक्त जांच दल श्री जहीरूद्दीन खिलजी उर्फ सलीम पुत्र कुतुबुद्दीन खिलजी, के निवास स्थान फॉयसागर चौकी के सामने वाली गली, दीवान का भट्टा अजमेर पहुँचे । मौके पर मकान के पीछे खुले स्थान (बाडा) में दो वाहन मारूति इको एवं मारूति वैन में घरेलू गैस सिलेण्डर के जरिये इलेक्ट्रिक रिफिलिंग मशीन से गैस रिफिलिंग की जा रही थी। मौके पर मारूति वैन गोल्डन कलर आर.जे. 14 यू ए 0613 में गाडी के पिछले हिस्से में फिटेड गैस किट में एक लाल रंग के पाईप, जो रिफिलिंग मशीन से जुडा था, के जरिये घरेलू सिलेण्डर (14.02 किग्रा) लगाकर रिफिलिंग की जा रही थी। रिफिलिंग मशीन इलेक्ट्रिक तार से विघुत कनेक्शन में जुडी थी तथा मशीन चालू थी। जिससे घरेलू गैस सिलेण्डर ए.आर.नम्बर टी 467177 के जरिये इस वाहन में एलपीजी गैस स्थानान्तरित की जा रही थी। इस मारूति वैन का ड्राईवर गोविन्द भाट पुत्र श्री लक्ष्मण भाट, निवासी रतनपुरा तहसील मसूदा का होना बताया। मौके पर खडी दुसरी गाडी वाहन मारूति इको, ग्रे कलर, रजि0 नं0 आर.जे.01 सीई 5985 में भी गाडी के पिछले हिस्से में लगे गैस किट में ठीक उसी प्रकार से दूसरी अवैध गैस रिफिलिंग मशीन से इलेक्ट्रिक तार से जुडी घरेलू लाल गैस सिलेण्डर से मारूति इको में गैस भरी जा रही थी। इस वाहन में उपयोग लिये जा रहे सिलेण्डर के एस.आर नम्बर 854385 कम्पनी बीपीसीएल जिसका Gross Weight 16.5 kg, Tear Weigth 15.5 Kg है। इस वाहन का चालक श्री संजय भाट पुत्र सांवर भाट, निवासी श्रीनगर, अजमेर से अवैध गैस रिफिलिंग के बारे में जानकारी ली, जिसके बयान लिए गए। मौके पर यह सिद्ध हो गया कि इस स्थान के बारे में प्राप्त शिकायत सही थी एवं यहॉ पर अवैध गैस रिफिलिंग का कार्य किया जा रहा है। इस कार्य को मौके पर सम्पादित करने वाले व्यक्ति जहीरूद्दीन खिलजी उर्फ सलीम पुत्र श्री कुतुबुद्दीन खिलजी निवासी, पुष्कर रोड, भट्टे वाली गली, अजमेर से इस सबंध में जानकारी दी है। जिसके बयान लिए गए। मौके पर इस परिसर का मालिक स्वयं को होना बताया गया है, जहॉ वो सपरिवार निवास करता है। घर की पुलिस दल व सिविल डिफैंस टीम के साथ जांच करने पर घर में 19 किग्रा क्षमता के

जिला कलक्टर
अजमेर

नीले रंग के सिलेण्डर (वाणिज्यिक 19 किग्रा) संख्या 12, 14.2 किग्रा भार गैस क्षमता के 23 सिलेण्डर (घरेलू गैस सिलेण्डर) तथा 5 किग्रा गैस भार क्षमता का नीले रंग का एक वाणिज्यिक सिलेण्डर पाया गया एवं 02 घरेलू सिलेण्डर रिफिलिंग वाले स्थान से बरामद हुए तथा 01 अन्य घरेलू इण्डेन गैस सिलेण्डर भी मारूति वैन के पास रखा गया था। इसकी तलपट्टी पृथक से बनाई गई है जिसमें सिलेण्डरवार विस्तुत विवरण दर्ज है। समस्त सिलेण्डरो में भण्डारित गैस का योग 172.4 किग्रा होता है जबकि नियमानुसार कोई भी व्यक्ति 100 किग्रा से अधिक गैस भण्डारण नहीं कर सकता है। घर में दो प्लास्टिक के कट्टे में लगभग 500 प्लास्टिक की कैप रखी पाई गई, जो एलपीजी सिलेण्डरों के उपर प्लास्टिक की सील लगाने हेतु होती है। इतनी बडी संख्या में घरेलू एवं वाणिज्यिक सिलेण्डरो और लगभग 500 कैपो की मौजूदगी के बारे श्री जहीरूद्दीन कोई उत्तर नहीं दे सका। यह परिसर स्थान सघन आबादी में स्थित है। मानव जीवन के लिए अत्यन्त घातक श्री जहीरूद्दीन का यह कृत्य आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के प्रावधानो तथा एलपीजी आदेश 2000 की शर्तो का स्पष्ट उल्लंघन है। उक्त दोनो वाहन मारूति इको, ग्रे कलर, रजि0 नम्बर आर.जे. 01 सीई 5985, मारूति वैन गोल्डन कलर आर.जे 14 यूए 0613 दो इलेक्ट्रिक गैस रिफिलिंग मशीन, 39 गैस सिलेण्डर एवं 500 प्लास्टिक कैप को राजहित में प्रवर्तन अधिकारी द्वारा कब्जे राज लिया गया। दोनो वाहन पुलिस थाना, गंज अजमेर को अग्रिम आदेश तक यथावत एवं सुरक्षित रखने के लिए सुपुर्द्व किये गये। जब्तशुदा 39 सिलेण्डर, 500 कैप, दोनो रिफिलिंग मशीन अग्रिम आदेश तक यथावत एवं सुरक्षित रखने हेतु ख्वाजा गैस सर्विस, अजमेर के कार्मिक श्री प्रकाश चन्द खैतावत पुत्र श्री पूरणचन्द खैतावत, निवासी डिग्गी बाजार, रैगरो का मौहल्ला, खेतावत चौक, अजमेर को सुपुर्द्व किये गये। श्री जहीरूद्दीन ने मौके पर अपने बयान में यह स्वीकार किया कि आर्थिक तंगी के चलते उसने पुनः गैस रिफिलिंग का अवैध कारोबार शुरू किया है। अतः श्री जहीरूद्दीन का यह कृत्य एलपीजी आर्ड 2000 के प्रावधानो क्लॉस 3 (1)(a)(C)(d)(e) 3.3)(a)(b)(c) 4.1 (a)(b)(c) (e) का स्पष्ट उल्लंघन है जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दंडनीय अपराध है। अतः उक्त जब्तशुदा 39 गैस सिलेण्डर, एवं दो इलेक्ट्रिक गैस रिफिलिंग मशीन तथा लगभग 500 प्लास्टिक कैप को राजसात फरमाया जावें ।

अप्रार्थी 1 ने दौराने बहस प्रार्थनापत्र में अंकित तथ्यों को नकारते हुये प्रकट किया कि मौके पर किसी प्रकार की अवैध रिफिलिंग भंडारण जैसा कोई भी कियाकलाप संचालित नही किया जा रहा था ना ही किसी प्रकार की कोई टूटी सील अथवा सामान पाए गए। किसी प्रकार की अनियमितता नही पाई गई। जब्तशुदा 39 गैस सिलेण्डर वर्तमान में शादियो का सीजन चल रहा है जिस हेतु अप्रार्थी के अच्छे व्यवहार के कारण पहचान के परिचितो के 4 परिवारो की शादी होने से अधिकांश सिलेण्डर जो उसके घर रखवाये गये व खाली थे जिसमें यदि कुछ सिलेण्डर में गैस भरी भी हुई तो उसका वजन 50 किलो से अधिक नहीं होगा जिला रसद अधिकारी द्वारा गलत तरीके से पेश किया गया है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज कर जब्तशुदा सामान सुपुर्द किया जावे ।

अप्रार्थी 3 ने दौराने बहस प्रार्थनापत्र में अंकित तथ्यों को नकारते हुये प्रकट किया कि प्रार्थी वाहन चालक है, दिनांक 13.01.2024 को फायसागर रोड पुलिस चौकी के पास वारी जायरिन को जियारत करवाने हेतु इंतजार कर रहा था तभी अप्रार्थी को वाहन चैकिग के नाम पर कुछ न्यायिक अधिकारी आये व अप्रार्थी को वाहन समेत बुलाकर एक अन्य स्थान पर ले गये व अप्रार्थी के विरूद्ध फर्जी मुकदमा बनाया। अतः प्रार्थना पत्र खारिज फरमावे।

जिला कलक्टर
अजमेर

हमनें उभय पक्षो की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। फर्दमौका रिपोर्ट, फर्दजप्ती के अवलोकन से यह पाया जाता है कि अप्रार्थी द्वारा अपने घर पर घरेलू एल.पी.जी. का कीमतन वाहनों में गैस भरने का कार्य कर व्यवसायिक दुरूपयोग करना पाया गया। अप्रार्थी द्वारा न तो जांच दल के समक्ष कोई विधि सम्मत दस्तावेज प्रस्तुत किये व न ही इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये गये है। अतः श्री जहीरूद्दीन व अन्य का यह कृत्य एलपीजी आर्ड 2000 के प्रावधानो क्लॉस 3 (1)(a)(C)(d)(e) 3.3)(a)(b)(c) 4.1 (a)(b)(c) (e) का स्पष्ट उल्लंघन है जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दंडनीय अपराध है। अतः उक्त जब्तशुदा 39 गैस सिलेण्डर, एवं दो इलेक्ट्रिक गैस रिफिलिंग मशीन तथा लगभग 500 प्लास्टिक कैप को राजसात को राजसात किया जाता है। चूकिं उक्त राजसात किये गये सिलेण्डरों को संबन्धित कम्पनी अमानत राशि लेकर नये उपभोक्ताओं को जारी करेगी। अतः पूर्व में जमा अमानत राशि राजकोष में जमा करवाई जावें। उपरोक्त वाहनों का निस्तारण सुपुदगीनामा प्रार्थना पत्र संख्या 01/2024 दिनांक 20.03.2024 व सुपुदगीनामा प्रार्थना पत्र संख्या 02/2024 दिनांक 09.04.2024 को किया जा चुका है।

आदेश आज दिनांक 22.05.2024 को सरे इजलास सुनाया गया ।

(डॉ0 भारती दीक्षित)
जिला कलक्टर, अजमेर